

Center-1706/11  
19/8/16

संख्या:-746 /XX(5)/16-14(हो0गा0)/2016

प्रेषक,

विनोद शर्मा,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,  
होमगार्ड्स,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग-5

देहरादून: दिनांक: 19 अगस्त, 2016

विषय:-मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक-06.12.2015 को की गयी घोषणा संख्या-80/2016 के सम्बन्ध में।  
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, होमगार्ड्स विभाग के चतुर्थ श्रेणी, बी0ओ0 हवलदार प्रशिक्षक, मिनिस्ट्रीयल संवर्ग तथा चालक एवं वैतनिक प्लाटून कमाण्डर, निरीक्षक, जिला कमाण्डेन्ट, मण्डलीय कमाण्डेन्ट अथवा समकक्ष पदधारकों का पौष्टिक आहार भत्ता निम्नवत् लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-


- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1-चतुर्थ श्रेणी   | -रु0 1350/-प्रतिमाह |
| 2-बी0ओ0/हवलदार प्रशिक्षक/मिनिस्ट्रीयल संवर्ग तथा चालक   | -रु0 1500/-प्रतिमाह |
| 3-वैतनिक प्लाटून कमाण्डर, निरीक्षक, जिला कमाण्डेन्ट,<br>मण्डलीय कमाण्डेन्ट अथवा समकक्ष पदधारक | -रु0 1275/-प्रतिमाह |

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-06 लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर-107-होमगार्ड्स-04-भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत) के अन्तर्गत-06 अन्य भत्ते की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।


3- उक्त दरें तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-99NP/XXVII(5)/2016, दिनांक-19.08.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

HCS Sec.

  
CG

भवदीय,

  
(विनोद शर्मा) 19.8.2016  
सचिव।



क्रमश:-2